संख्या-14/2020/89 ई-2/तेरह-2020-29/2016

प्रेषक,

कृपा शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

आबकारी अनुभाग-**2** लखनऊः दिनांक 29 जनवरी, 2020

विषयः नन्दनी बार एण्ड रेस्टोरेन्ट, बुद्धविहार, कामर्शियल तारामण्डल, गोरखपुर से वीनस कम्पाउण्ड, गोरखपुर में एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्थानान्तरित किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त उ.प्र. प्रयागराज को शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-154(10)/जि.आ.आ./एफ.एल.-7/ गोररखपुर/ दिनांक 05-11-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 04-11-2019 में की गयी संस्तुति तथा इसी सन्दर्भ में आबकारी आयुक्त, प्रयागराज के पत्र संख्या-25946/दस-लाइसेंस-43/एफ.एल.-6,7/नन्दनी बार/बार अनु/गोरखपुर दिनांक 09-01-2020 में की गयी संस्तुति व अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त नन्दनी बार एण्ड रेस्टोरेन्ट, बुद्धविहार, कामर्शियल तारामण्डल, गोरखपुर से वीनस कम्पाउण्ड, गोरखपुर में एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्थानान्तरित किये जाने की पूर्वानुमति व अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में एतद्द्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगुन्तकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा एवं पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा। इकाई में स्थापित अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, इकाई द्वारा उनका पूर्णरूप में अनुपालन किया जायेगा। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी.(डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) की व्यवस्था की जाएगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत अनुज्ञापन के स्थान परिवर्तन से बार अनुज्ञापन की स्वीकृति हेतु प्रचलित शासनादेशों/नियमावलियों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-14/2020/89(1) ई-2/तेरह-2020तद्दिनांक

उपयुक्त की प्रति आबकारी आयुक्त प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-25946/दस-लाइसेंस-43/एफ.एल.-6,7/नन्दनी बार/बार अनु/गोरखपुर दिनांक 09-01-2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in